

(18)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर  
प्रकरण क्रमांक : /2010 निगरानी निगरानी 334-III/10

(N.K. Chaturvedi)

प्रकरण नं. 334-III/10 का प्रस्तुत।  
द्वारा बाबू दि. 22/3/10  
अवर सचिव 22/3/10  
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर


रामदयाल भार्गव आत्मज श्री ओंकारलाल भार्गव आयु लगभग 76 वर्ष व्यवसाय वर्तमान में कुछ नहीं निवासी अस्पताल के सामने बोहरा कॉलोनी गुना तहसील व जिला गुना द्वारा मुख्याराम देवेन्द्रकुमार आत्मज श्री रामदयाल जी भार्गव आयु लगभग 41 वर्ष व्यवसाय व्यापार निवासी सिविल अस्पताल के सामने बोहरा कॉलोनी गुना

निगरानीकर्ता

विपरीत

1. राजेशकुमार जैन आत्मज श्री सुगनचंद जैन आयु लगभग 41 वर्ष व्यवसाय व्यापार निवासी बोहरा कॉलोनी गुना तहसील व जिला गुना
2. संजीवकुमार उर्फ बंटी जैन आत्मज श्री सुगनचंद जैन आयु लगभग 41 वर्ष व्यवसाय व्यापार निवासी बोहरा कॉलोनी गुना तहसील व जिला गुना
3. श्रीमति अन्जूबाला विधवा पत्नि जिनेशकुमार जैन आयु लगभग 40 वर्ष व्यवसाय व्यापार निवासी बोहरा कॉलोनी गुना तहसील व जिला गुना

देवेन्द्रकुमार



4. शशांक पुत्र जिनेशकुमार जैन नाबालिग द्वारा सरंक्षक माता श्रीमति अन्जूबाला जैन निवासी बोहरा कॉलोनी गुना तहसील व जिला गुना
5. कुमारी पारुल पुत्री जिनेशकुमार जैन नाबालिग द्वारा सरंक्षक माता श्रीमति अन्जूबाला जैन निवासी बोहरा कॉलोनी गुना तहसील व जिला गुना
6. अकबरअली पुत्र इब्राहिमअली बोहरा मुसलमान द्वारा मुख्त्यारआम फखरुद्दीन फारिग एडवोकेट आत्मज श्री यासिनअली बोहरा कॉलोनी गुना तहसील व जिला गुना

—अनावेदकगण

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर (श्री ए०के० शिवहरे) द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-213/93-94 निगरानी में दिनांक 008.01.2010 को पारित आदेश के विपरीत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत निगरानी।

माननीय महोदय,

सेवा में आवेदक की ओर से निगरानी का ज्ञापन सादर निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

01. माननीय अधिनस्थ न्यायालय अर्थात् तहसीलदार गुना के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन पत्र अनावेदक क्रमांक-1 लगायत 5 की पूर्वज स्वर्गीय ममतादेवी जैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर आवेदक निगरानीकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। लेकिन आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद भी तहसीलदार महोदय गुना के द्वारा आवेदक को न तो सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही विक्रय पत्र और उसके साक्षीगण से जिरह का अवसर प्रदान

देने का मतलब.

*[Handwritten signature]*

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
 प्रकरण क्रमांक R. 334-III/110 जिला राउरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>8-2-17</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>आवेदन के अधिवक्ता दिनांक 14-12-11 के अनुपस्थित है। कइकार और मजान के बाद मजान मजान। आवेदन एवं अधिवक्ता को प्रकरण के अंतर्गत होने के प्रमाण प्रमाण दिया जाता है।</p> <p><i>[Signature]</i> अधिवक्ता</p>	